

प्रपत्र-६
नियम २५(१) देखिये
उत्तर प्रदेश सरकार

लाइसेन्स अधिकारी का कार्यालय

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
जी-25ए, सैक्टर-3, नौएडा,
गौतमबुद्धनगर ।

लाइसेन्स संख्या

33/12

दिनांक

6-2-12

भुगतान की गयी फीस रूपया

939

पैसा

X

रु०

180000

पैसा

X

कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एवोलिशन) ऐक्ट १९७० की धारा-१२ (१) के अधीन एतद् द्वारा

~~श्री. सी. एम. जयराज, अ-27/15 पुन्यप्रमोदिका, अ-16 गीण्डा ए. सी. टी. क्लब~~
~~सिमा कोन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., प्लॉट नं-15-16, अ-16, गीण्डा गौतमबुद्धनगर~~

अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रखते हुए लाइसेन्स स्वीकृत किया जाता है लाइसेन्स 31-3-2012 तक चालू रहेगा ।

संविदा श्रमिकों की अधिकतम संख्या:-

- 60 (MTG)

नोट-लाइसेंस इस शर्त के साथ निगंत/नवीनीकृत कि संविदाश्रम अधि०, 1970 के अन्तर्गत प्रत्येक अग्रवर्ष की रिटर्न प्रपत्र-24 पर इस कार्यालय को प्राप्त करायेगा ।

कार्य की प्रकृति:-

श्री. सी. एम. जयराज
ए. सी. टी. क्लब

लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर
रजिस्ट्री कर्ता एवं लाइसेंसिंग अधिकारी
कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एवोलिशन)
एक्ट 1970
श्री. सी. एम. जयराज, गीण्डा
गौतमबुद्धनगर

नवीनीकरण (नियम-२६)

नवीनीकरण का दिनांक	नवीनीकरण के लिये भुगतान की गयी फीस	समाप्ति का दिनांक	लाइसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर दिनांक
11/4/12	₹-020000 dt 12/10/12 5314	31/8/13	रजिस्ट्री कर्ता एवं लाइसेंसिंग अधिकारी का कार्यालय (रेगुलेशन एंड एवोलिशन) एक्ट 1970
2/4/13	₹-130000 dt 20/1/14 5314	31/3/14	रजिस्ट्री कर्ता एवं लाइसेंसिंग अधिकारी का कार्यालय (रेगुलेशन एंड एवोलिशन) एक्ट 1970
11/4/14	₹-020000 dt 16/5/14 5314	31/3/15	रजिस्ट्री कर्ता एवं लाइसेंसिंग अधिकारी का कार्यालय (रेगुलेशन एंड एवोलिशन) एक्ट 1970
11/4/16	₹ 504000 dt 15-7-16 5314	31-3-17	रजिस्ट्री कर्ता एवं लाइसेंसिंग अधिकारी का कार्यालय (रेगुलेशन एंड एवोलिशन) एक्ट 1970